न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 81/2015 (उदयपुर डिकी)

1. मोतीलाल पिता रूपलाल जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. मेघा पिता सवा जी डांगी मृतक के बजाय :–

(2/1). लोगरलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

(2/2). सुखलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

(2/3). भंवरलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गणे''ालाल पिता कुका जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पायल पिता भंवरलाल जी बोहरा (कुमावत), निवासी 23, नयापुरा, देहलीगेट, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 29.09.2015, प्र. सं. 110/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1

———:::———

निर्णय दिनांक

25–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लोयरा में साबिक आराजी नंबर 386 रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 286 रकबा 0.0500 हैक्टर व 391 रकबा 0.1400 हैक्टर बने हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर आराजी नंबर 386 रकबा 0.0500 हैक्टर पर वादी संख्या 1 का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आराजी नंबर 391 रबा 0.1400 हैक्टर मौके पर बटी होकर 1/2 भाग पर वादीगण का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चढ़ गयी है, जबकि वादीगण का कब्जा 50 वर्शो से भी अधिक समय का होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार का''तकारी घोशित किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाबदावा बन्द किया गया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–09–2015 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–11–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/वादीगण ने यह सिद्ध करा दिया था

कि विवादित भूमि कुका जी की मौरूसी भूमि है तथा पदमा की मृत्यु के समय गांगा नाबालिग होने से भूमि कुका के नाम पर दर्ज हो गयी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट/वादीगण का 50 से भी अधिक वर्शो से कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे अपीलान्ट/वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार का''तकार घोशित किया जाकर स्थार्यी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि वादीगण ने विवादित भूमियां मौरूसो होने बाबत् कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। एक तरह तो अपीलान्ट/वादीगण भूमि मौरूसी होना बताकर उसमें अपना 1/2 हिस्सा होना बताते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी चाह रहे हैं। मौरूसी भूमि होना अपीलान्ट/वादीगण ने साबित नहीं कराया है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नवीन न्यायिक नजीरों अनुसार का''तकारी कानूनन में खातेदारी देय नहीं है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहोन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

मोतीलाल पिता रूपलाल जी डांगी, निवासी	बनाम गणे"ा पिता कुका जी डांगी,
निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव,	लोयरा, तह0 बड़गांव, जिा उदयपुर
जिला उदयपुर व अन्य	व अन्य

अपील नं॰.....81 / 2015.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....29.....माह.....09..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....25....माह.....09.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री संजय बोहरा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री जी.एस. मेहता.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....25.....माह.....09... 2019

को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।